न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 451/17 (RCMS No. 2017/00480) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

गम्भीर सिंह पुत्र बाबू लाल जाति अहीर निवासी झारोली तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2017

उपस्थितिः—

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट
2. श्री उदयवीर कसाना राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य दिनांकः—16.03.2018

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 08.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट एवं ग्रामवासियों ने एक प्रार्थना पत्र रात्री चौपाल ग्राम झारौली में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष पेश कर कथन किया कि आराजी ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा गैर मुमकिन मरघट ग्राम झारोली तहसील भरतपुर का नम्बर था। सैटिलमेन्ट विभाग ने गत ख0 नं0 से हाल ख0 नं0 95 रकवा 1.50 हैक्टेयर बनाया है इसमें गत ख0 नं0 303, 304 व 305 भी सम्मलित कर दिये हैं। सैटिलमेन्ट ने हाल ख0 नं0 95 की किस्म गैर मुमकिन आबादी व गैर मुमकिन पोखर दर्ज कर दी है जबकि ख0 नं0 95 में गैर मुमकिन मरघट का गत ख0 नं0 306 भी सम्मलित है। हाल ख0 नं0 95 में गत ख0 नं0 306 को सम्मलित करते हुऐ गैर मुमकिन मरघट की किस्म दर्ज नही की है जबकि मौके पर मरघट अस्तित्व में है। गॉववासी इस मरघट को सुधारना चाहते हैं लेकिन हाल जामबन्दी में गैर मुमकिन मरघट की किस्म दर्ज नही होने से मरघट का किसी प्रकार का सुधार नही हो पा रहा है। इस मरघट की जमीन पर अतिक्रमण भी हो रहा है व धीरे धीरे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मरघट का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। अतः हाल ख0 नं0 95 रकवा 1.50 हैक्टेयर ग्राम झारौली में से गैर मुमकिन मरघट का गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा ग्राम झारोली को अलग करते हुऐ नया ख0 नं0 दर्ज कर किस्म गैर मुमकिन मरघट दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 29.11.16 के अनुसार गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा पर आज भी शमशान बना हुआ है जो हाल ख0 नं0 95 में गत ख0 नं0 303, 304, 305 व 306 को मिला कर बनाया है। मौके पर शमशान की जमीन पर कोई विवाद नही होना बताया है। गत रिकार्ड में ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा गैर मुमकिन मरघट दर्ज है। उक्त भूमि ख0 नं0 95 में से 35 एयर मरघट के रूप में काम में आ रही है। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.17 के अनुसार मौके पर 20 एयर रकवा शमशान में तारबन्दी होकर काम में लिया जा रहा है, 10 एयर रकवा पर रास्ता है, 64 एयर में पोखर में पानी भरा हुआ है। ख0 नं0 84 रकवा 6 विस्वा नन्दो पूरन वगैरहा का हाल खव नं0 95 में खातेदरी का मिला दिया है जिसका वाद उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। करीब 1 बीघा जमीन में ग्राम के पुराना पंचायत भवन, तीन दुकान ग्राम पंचायत, अटल सेवा केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र किसान विल्डिंग बनी हुई है। किसान सेवा केन्द्र व बीज गोदाम के भवन निर्माणधीन हैं। आबादी के पास 1 एयर पर भुमिया जी का मन्दिर बना हुआ है। उक्त सार्वजनिक भवनों के पीछे शेष जमीन खाली पड़ी हुई है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने यह माना कि ख0 नं0 304 व 305 की नकल जमाबन्दी पेश नही की है। सैटिलमेन्ट को समाप्त हुऐ 30 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। नक्शे में दुरूस्ती धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नही हो सकती है। प्रार्थी/अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमित वाद करने के निर्देश देकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन नही किया। रिपोर्ट दिनांक 29.11.16 एवं 20.03.17 से स्पष्ट है कि हाल ख0 नं0 95 रकवा 1. 50 हैक्टेर में गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा गैर मुमकिन मरघट का रकवा शामिल है तथा मौके पर 95 रकवा 1.50 हैक्टर में से 35 एयर शमशान के काम आ रहा है। इन दोनों रिपोर्टों से यह स्पष्ट है कि मौके पर हाल ख0 नं0 95 रकवा 1.50 में से 35 एयर पर गैर मुमकिन मरघट अस्तित्व में है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दुरूस्ती की जा सकती है अधीनस्थ न्यायालय का यह तर्क गलत है कि धारा 136 के तहत दुरूस्ती नही की जा सकती, अपीलान्ट को नियमित दावा करना चाहिये। अपीलान्ट स्वंय को खातेदार घोषित नही कराना चाहता वल्कि सार्वजनिक हित में सार्वजनिक भूमि शमशान के इन्द्राजों को दुरूस्त कराना चाहता है। सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सैटिलमेन्ट की गलती को सैटिलमेन्ट समाप्ति के बाद उपखण्ड अधिकारी लैण्ड रिकार्ड आफीसर की हैसियत से दुरूस्त कर सकता है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि बन्दोवस्त को समाप्त हुऐ लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं। अपीलान्ट ने अब धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि अपीलान्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को कोई आपत्ती थी तो सैटिलमेन्ट समाप्त होने के तुरन्त बाद ही दुरूस्ती के लिये प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये था। उनका तर्क है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत नक्शे में दुरूस्ती नही की जा सकती है। अपीलान्ट को नियमित दावा दायर कर अनुतोष लेना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि गत ख0 नं0 303 रकवा 4 बीघा, 304मिन, 305 रकवा 13 विस्वा एवं 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा से हाल ख0 नं0 95 रकवा 1.50 हैक्टर बना है। उक्त गत खसरा नम्बरान से हाल में एक नम्बर बनाया है जिसमें चार गत ख0 नं0 शामिल कर दिये हैं जबकि गत नक्शा व रिकार्ड में चारों अलग–अलग नम्बरान हैं। अपीलान्ट ने ग्रामवासियों के साथ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रात्रि चौपाल में पेश कर शमशान के नम्बर को अलग करने का निवेदन किया था। पत्रावली में उपलब्ध गत हाल नक्शा व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा गैर मुमकिन मरघट दर्ज रिकार्ड है। जिसका गत नक्शे में अलग से नम्बर बनाया गया है परन्तु हाल रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर को ख0 नं0 195 रकवा 1.50 हैक्टेयर में शामिल करते हुऐ गैर मुमकिन आबादी व गैर मुमकिन पोखर किस्म अंकित की है जबकि गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा शमशान का नम्बर भी इसी हाल ख0 नं0 195 में शामिल किया गया है इसलिये हाल ख0 नं0 में गैर मुमकिन शमशान भी दर्ज किया जाना चाहिये था। परन्तु इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है।

जहॉ तक पटवारी व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट का प्रश्न है। पटवारी ने मौका रिपोर्ट दिनांक 29.11.16 में अंकित किया है कि मौके पर हाल ख0 नं0 95 रकवा 1.50 पर गत ख0 नं0 306 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा पर आज भी शमशान बना हुआ है। हाल ख0 नं0 195 गत ख0 नं0 303, 304, 305 व 306 को मिलाकर बनाया है मौके पर शमशान की जमीन पर कोई विवाद नही होना बताया है। वर्तमान में उक्त भूमि ख0 नं0 95 रकवा 1.50 में से 0.35 हैक्टेयर ग्राम झारौली में मरघट के रूप में काम आ रही है। इसके अलावा पटवारी ग्राम झारौली व तहसीलदार भरतपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के अनुसार मौके पर पोखर के सहारे पश्चिम दिशा में 0.10 है0 रास्ता कायम है। मौका अनुसार गै0मु0 मरघट करीब 0.20 है0 में तारबन्दी होकर काम में लिया जाना बताया। उक्त दोनों रिपोर्टों में विरोधाभाष है। प्रथम पटवारी रिपोर्ट में 0.35 है0 पर शमशान के रूप में काम में आना बताया है और दूसरी रिपोर्ट में 0.20 है0 पर शमशान के काम में लिया जाना बताया है। नजरी नक्शे के अनुसार पोखर आबादी व शमशान एवं अन्य जगह को इसी ख0 नं0 195 में शामिल किया जाना बताया गया है। यदि 0.20 हैक्टर पर शमशान हैं तो बाकी रकवा किसमें मिला हुआ है। शमशान के शेष रकवे पर किसने कब्जा कर लिया है। शमशान का रकवा किसके कब्जे में से काटकर पूरा किया जा सकता है, यह रिपोर्ट में अंकित नही किया है। तहसीलदार से पुनः मौका रिपोर्ट ली जावे ताकि शमशान की भूमि का रकवा गत के अनुसार पूरा करते हुऐ नया नम्बर बनाकर रिकार्ड में इन्द्राज किया जा सके।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जहॉ तक धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रश्न है। धारा 136 के अन्तर्गत बन्दोवस्त के दौरान हुई गलती या त्रुटि को सही करने का अधिकार भू अभिलेख अधिकारी को है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लिपिकीय त्रुटियों या ऐसी त्रुटियॉ जिसके लिये पक्षकार सहमत हों, सुधार सकता है। यहॉ शमशान सार्वजनिक हित की आराजी है जिसका गत नक्शे व रिकार्ड में अलग नम्बर है व अलग इन्द्राज है। परन्तु हाल में एक ही नम्बर बना दिया है और उसमें भी शमशान अंकित नही किया है, जो दुरूस्ती योग्य है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट लेकर शमशान (मरघट) जो सार्वजनिक उपयोग का है, के नम्बर को हाल ख0 नं0 195 में से अलग कर नया नम्बर बनाने की कार्यवाही करने के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.05.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपरोक्तानुसार कार्यवाही के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.04.2018 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official